न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

अनवान -

1- रेवंतराम पुत्र श्री इमीलाल जाति कुम्हार उम्र 53 वर्ष निवासी 6 बी.एल.एम.(ए) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

2- गोपीराम पुत्र श्री इमीलाल जाति कुम्हार उम्रड वर्ष निवासी 6 बी.एल.एम.(ए) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

3- भागीरथ पुत्र श्री इमीलाल जाति कुम्हार उम्र50वर्ष निवासी 6 बी.एल.एम.(ए) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थीगण.....

बनाम-

1- कृष्णलाल पुत्र श्री इमीलाल जाति कुम्हार उम्र वर्ष निवासी 6 बी.एल.एम.(ए) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर ।

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति- 01- श्री हितेन्द्रनारायण सारस्वत, वकील प्रार्थीगण
02- श्री नवीन मिढ़ढा, वकील अप्रार्थीगण
03- पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

राजस्व प्रकरण संख्या - 52/2023 निर्णय दिनांक - 6/12/24

(जी.सी.एम.एस.-2024/65)

::-निर्णय ::-

प्रकरण के तथ्य संक्षेम में इस प्रकार है कि-

प्रार्थीगण के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसके सफल होने की पूरी आशा व आधार है। इस प्रार्थना पत्र को वाद पत्र का एक भाग समझा जाकर साथ पढ़ा जावे। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 के नाम से संयुक्त खाता में भूमि वाके चक 6 बी.एल.एम.(ए) का खाता संख्या 2 मु.नं. 15 प.नं. 196/397 का किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25 कुल 6.325 है. कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि है। वर्णित भूमि में से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 के नाम से 6.325 है. कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा प्रत्येक के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खातेदार टेनेन्ट है। प्रार्थीगण उक्त रकबा में अंकित खातेदार टेनेन्ट होने के कारण वाद लाने के विधिक अधिकारी है। चूंकि उक्त उपरोक्त रकबा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता के देहान्त उपरान्त प्राप्त हुआ है एवं उक्त रकबा संयुक्त खाता में दर्ज है। जिस कारण से भूमि को काश्त करने एवं आवयाना अदा करने राजस्व कार्यो को करने भूमि सुधार हेतु ऋण व सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना कर पड़ता है। इसलिए प्रार्थीगण के द्वारा समय समय पर अप्रार्थी संख्या 1 से मौखिक रूप से संयुक्त खाता में दर्ज भूमि का सही रूप से अपनी अपनी सुविधा अनुसार भूमि की सिंचाई व्यवस्था, रास्ता व्यवस्था आदि को ध्यान में रखते हुए अच्छी में अच्छी व बुरी से बुरी भूमि किस्म अनुसार बंटवारा कर उसी अनुसार अमलदरामद करवाने के लिए कहा जाता रहा है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 आश्वासन देता रहा है कि गांव में जब भी राजस्व कैम्प का आयोजन होगा उसमें अपने

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सभी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 मिलकर अपनी भूमि का बंटवारा कर लेगे। जिस पर प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 पर सद्भावी विश्वास करते आ रहे है। किन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने पर भी बंटवारा नहीं किया।

उपरोक्त बंटवारा बाबत प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ने आज से करीब 20 दिन पूर्व घरेलु पंचायत बाबत कृषि भूमि का बंटवारा रखी। प.नं. 197/397 में गैर मुमकिन आबादी के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में मौका पर खड़वजा रास्ता चल रहा है। यह कि वादीगण संख्या 1 ता 3 प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वादीगणों ने विचार विमर्श इस बात को लेकर किया कि गैर मुमकिन आबादी की प.नं. 197/397 किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में उतर दक्षिण खडवंजा रास्ता चालू तो अपने भी उपरोक्त अपनी भूमि में प्रत्येक का बहिस्सा बराबर बराबर 1.581 है. कुल भूमि 6.325 है. मय खाला में से भूमि का विभाजन पूर्व से पश्चिम की ओर खडवंजा रास्ता के फ्रंट पर किला मुताबिक कर लेते है व अपने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने आपको खातेदार टेनेन्ट घोषित करवा लेते है। जिससे उतर दक्षिण सड़क का उपयोग, लाभ अपने सभी काश्तकार को हो जायेगा। किसी भी साधन को या कृषि हेतु उपयोग होने वाले उपकरण को अपनी भूमि में प्रवेश हेतु कोई दुविधा नहीं आयेगी एवं आबादी भूमि सड़क का फ्रंट भाग होने से अपने चारों काश्तकारों की भूमि की कीमत भी बढ़ जायेगी। हम तीनों प्रार्थीगणों ने उक्त प्रस्ताव अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष रखा कि वर्तमान में खड़वंजा सड़क के बराबर फ्रंट में प्रार्थी संख्या 2 गोपीराम व अप्रार्थी संख्या 1 कृष्णलाल मौजूद है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को कहा कि अपन चारों भाई काश्तकार खड़वंजा सड़क से पूर्व पश्चिम की ओर बहिस्सा बराबर बराबर भूमि का विभाजन कर लेवे तो भविष्य में काश्त करने हेतु सिंचाई पानी हेतु रास्ता हेतु व अपनी-अपनी भूमि पर पहुंच करने हेतु कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने खड़वंजा सड़क से अपने वर्तमान कब्जा काश्त के किलों को छोड़ने से इन्कार हो गया। ताकि प्रार्थीगणों को भूमि का बराबर लाभ प्राप्त नहीं हो सके। अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐलानिया धमकी भी दी कि मेरी काश्त आबादी भूमि की ओर जाने वाली सड़क के बराबर में है मैं मेरी भूमि को अच्छी कीमत में इकरार सौदा करने के लिए दलाल व खरीददारों को कह रखा है। मैं कुछ ही दिनों में अपने हिस्से को अच्छी कीमत पर विक्रय कर दूंगा या अन्य प्रकार से अन्तरित कर एवं गुण्डा प्रवृति के लोगों को अच्छी किस्म की भूमि पर जबरन, बल पूर्वक काबिज कर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की सुधारी हुई भूमि से बेदखल एवं महरूम कर दूंगा और तुम्हारे लिए ऐसी समस्या उत्पन्न कर दूंगा कि उपरोक्त मुरब्बे में सही ढंग से पुनः कभी विभाजन नहीं हो पायेगा। बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है।

प्रार्थीगण के द्वारा अपने कब्जा काश्त की भूमि में किये गये सुधारों बदौलत उक्त भूमि की किस्म सुधर जाने व कृषि भूमि के पास से आबादी भूमि पर जाने वाली ग्रामीण सड़क होने के कारण उक्त भूमि की कीमतो में आशातीत वृद्धि हो जाने के कारण से उक्त भूमि को देखकर अप्रार्थी संख्या 1 के मन में लालच व बेईमानी आ गई है एवं कुलालचवश अप्रार्थी संख्या 1 अपना दर्ज हिस्सा को अन्य को रहन विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने उक्त विधि विपरीत कार्यों में सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपने कब्जा काश्त की भूमि से महरूम एवं बेदखल होना पडेगा जिससे प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा व अपूर्णीय क्षति होगी व काश्त आदि में भारी असुविधा होगी इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के प्रार्थीगण विधिक अधिकारी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विवादित भूमि चक 6 बी.एल.एम.(ए) का खाता संख्या 2 मु.नं. 15 प.नं. 196/397 का किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25 का कुल 6.325 है. कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि या इसके किसी भाग को अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने या भूमि को खुर्द बुर्द करने इसमें स्थापित किसी सुविधा को बाधित करने या बन्द करने या अन्य ऐसा कार्य करने से जिससे प्रार्थीगण को काश्त करने में परेशानी हो, को स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि से करवाने से बाज एवं ममनू रहे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किये जाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ने जरिये वकील जवाब पेश किया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नही आये है एवं वास्तविक तथ्यों को छुपाकर वेग तथ्यों पर प्रार्थना पत्र लेकर आया है इसलिये कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रश्नगत भूमि के ऐलानिया खातेदार एवं काबिज काश्तकार है और कानूनन सहखातेदार एंव वास्तविक स्वामी को उसकी भूमि के उपयोग, उपभोग, अन्तरण के अधिकार से अस्थाई व्यादेश से निषेधित नही किया जा सकता है। सहमति पत्र दिनांकित 28/12/2020 के मुताबिक अप्रार्थी संख्या 1 कृष्ण लाल के हिस्सा में वादाधीन भूमि का किला नम्बर 11 में 10 बिस्वा, किला नम्बर 12 में 10 बिस्वा, किला नम्बर 13 में 5 बिस्वा, किला नम्बर 18 में 10 बिस्वा, किला नम्बर 19-20-21-22 में 4-00 बीघा सालम, किला नम्बर 23 में 10 बिस्वा इस प्रकार कुल 6 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि आई इन उपरोक्त किलाजात की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 कृष्णलाल अपने पिता के जीवनकाल में किये घरू बंटवारा एंव सहमति पत्र दिनांकित 28/12/2020 के मुताबिक आज रोज तक निरन्तर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहा है और उपरोक्त वर्णित मौका कब्जा काश्त के किलाजात की भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 बंटवारा में प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। जिस बाबत काउन्टर क्लेम जवाबदावा के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संव्यय निरस्त फरमाया जावे।

हमारे द्वारा उभय पक्ष की बहस और पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और यह पाया कि विवादित भूमि चक 6 बी.एल. एम.(ए) का खाता संख्या 2 मु.नं. 15 प.नं. 196/397 का किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25 कुल 6. 325 है. कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है। यदि अप्रार्थीगण संख्या 01 द्वारा दौराने वाद विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन किया जाता है तो प्रार्थीगण की अपूर्णीय क्षति व असुविधा होगी तथा पक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी। वर्तमान में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally Signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के पक्ष में है ऐसी स्थिति में, मैं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाती हूँ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद के अन्तिम निस्तारण तक चक 6 बी.एल.एम.(ए) का खाता संख्या 2 मु.नं. 15 प.नं. 196/397 का किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25 कुल 6.325 है. कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आदिनांक 6.12.24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीविजयनगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner